

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक 2032/पं0/एस0एल0डब्ल्यूएम/2023-24

दिनांक 21/08/2023

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
2. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद-अम्बेडकरनगर।

विषय :- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत निर्मित/सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव /संचालन व अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पत्र सं0 5/1149/2023-5/25/2022 लखनऊ दिनांक: 07 अगस्त, 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को ओ०डी०एफ० प्लस की मॉडल श्रेणी में ले जाना लक्षित है। ओ०डी०एफ० प्लस अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना प्रमुख घटक है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या- 1040/33-3-2021-116/2020 दिनांक 22.06.2021 तथा पत्र संख्या- 4076/33-3-2023 दिनांक 11.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शैड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा, वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट, नाडेप/खाद गढ़दे, सार्वजनिक कचरा पात्र आदि कार्य निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये चयनित 5321 ग्राम पंचायतों के लिये राज्य स्तर से की जा रही समीक्षा एवं भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपरोक्तानुसार सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रख-रखाव तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखीकरण में एक रूपता नहीं है।


3 - ग्राम पंचायतों/ग्रामों को ओ०डी०एफ० प्लस घोषित करने एवं स्थिरता के दृष्टिगत निर्मित करायी जा रही परिसम्पत्तियों मुख्यतः आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शैड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा के संचालन/रख-रखाव एवं अभिलेखीकरण तथा इससे अपना व्यय भार स्वयं वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिये निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाये जाने की आवश्यकता है-

- I. ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर, दुकान, सार्वजनिक कचरा पात्रों, बाजार आदि से नियमित कचरे का एकत्रीकरण निर्धारित वाहन/ई-रिक्शा के माध्यम से किया जायेगा।
- II. कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा का संचालन एवं घर-घर से कूड़ा संग्रहण का उत्तरदायित्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारी को दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसे ग्राम जहां सफाई कर्मों की तैनाती नहीं है, वहां ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह अथवा आवश्यकतानुसार श्रमिक तैनात कर इस कार्य को किया जायेगा।
- III. आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शैड के समस्त कार्यों यथा-छटनी, कम्पोस्टिंग आदि के लिये स्वयं सहायता समूह के चयन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1758 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा जिन स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक शौचालयों के संचालन दायित्व सौंपा गया है, प्राथमिकता पर उनका चयन उनकी सहमति से किया जाये। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य समूह के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है।
- IV. छटनी के बाद जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री गांव में ही निस्तारित हो सकती है, ऐसी सामग्री को वर्मी कम्पोस्ट खाद गढ़दा आदि के माध्यम से निस्तारण के लिये दायित्व निर्धारित किया जायेगा। जो सामग्री जैसे प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि का निस्तारण गांव में नहीं हो सकता, उसे गांव से ले जाने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह से भी समन्वय कर दायित्व सौंपा जायेगा।
- V. पर्याप्त जनजागरूकता फैलाकर प्रत्येक घर/दुकान से कूड़ा संग्रहण शुल्क लिया जायेगा। शुल्क के सापेक्ष उन्हें निर्धारित रसीद उपलब्ध करायी जायेगी (रसीद का प्रारूप संलग्न)। आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शैड में छटनी के उपरान्त प्राप्त उपयोगी वस्तुएं एवं अकार्बनिक कचरे यथा प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि तथा कम्पोस्टिंग से तैयार खाद की बिक्री के साथ-साथ प्राप्त उपभोक्ता शुल्क की धनराशि को ओ०एस०आर० बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियों के अनुरूप श्रमिकों/स्वयं सहायता समूहों पर होने वाले व्यय का समायोजन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों उक्त गतिविधि से आवश्यकतानुसार आय का सृजन नहीं हो सकेगा, वहां यथावश्यक नियमानुसार वित्त आयोग/मनरेगा आदि की धनराशि से गतिविधियां संचालित की जायेगी।
- VI. कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, नम्बर तथा कचरा कलेक्शन का समय आदि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों तथा विशेषकर आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शैड, पंचायत भवन पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा तथा लिखित रूप में सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा। कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियां यथा- रूट चार्ट के अनुसार कचरा संग्रहण शुल्क संकलन आदि की नियमित रिकॉर्ड कीपिंग के लिये लॉग बुक/रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव ग्राम पंचायत एवं पंचायत सहायक का होगा।

AE

- VII. ग्राम पंचायत में कूड़ा संग्रहण में शिकायत अथवा मांग हेतु एक नम्बर जारी किया जाये, जिस पर सामान्य जन फोन करके अकस्मिक/विशेष स्थिति की जानकारी दे सके। इसका एक रजिस्टर भी ग्राम पंचायत पर संरक्षित किया जायेगा तथा निस्तारण की स्थिति भी इस रजिस्टर में अंकित की जायेगी। ग्राम पंचायतों में कामर्शियल गतिविधियों एवं घरेलू स्तर पर कूड़ा संग्रहण हेतु पृथक-पृथक दरें ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित की जा सकती हैं। शुल्क संकलन हेतु ग्राम पंचायतों में ओ०एस०आर० खाता के माध्यम से प्राप्त क्यू०आर०कोड का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा व उचित होगा कि ओ०एस०आर० खाते से सम्बन्धित क्यू०आर० कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा, आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शोड, प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों पर चरपा किया जाये।
- VIII. ग्राम पंचायतों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह/श्रमिकों/ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस हेतु किसानों से गोबर प्राप्त करने तथा वर्मी के विपणन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि ग्राम पंचायतें चाहें तो गोबर लेने के लिये शुल्क अथवा गोबर के बदले वर्मी कम्पोस्ट देने की भी व्यवस्था लागू कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट/खाद का विपणन प्लास्टिक की थैलियों में न किया जाये।
- IX. कचरा संग्रहण वाहन, आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शोड के संचालन में लगे कर्मियों के लिये हाईजीन किट यथा- एप्रेन, कैप, मास्क, सैनेटाईजर, बूट, इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शोड में फर्स्ट ऐड किट एवं साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जायेगी।
- X. गांव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि जैसी वस्तुएं ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आबद्ध किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत एवं उस व्यक्ति/संस्था के मध्य दरें एवं अन्य सुविधाओं की शर्तें स्पष्ट करते हुए एक अनुबन्ध किया जायेगा।
- XI. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं कार्यरत कर्मियों के लिये दी जा रही सुविधाओं का विधिवत वॉल पेन्टिंग आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शोड पर की जायेगी।
- XII. आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शोड एवं वाहन का नियमित अन्तराल पर मेंटेनेन्स कराया जायेगा।
- XIII. वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से प्रदेश के समस्त आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शोड का संचालन एवं रख-रखाव के आधार पर रैंकिंग की जायेगी। जिसके अनुरूप पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
- XIV. गांव में निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा क्या करें, क्या न करें से सम्बन्धित बिन्दुओं की वॉल राईटिंग/वॉल पेन्टिंग सुनिश्चित की जायेगी।
- XV. हेजार्डस अपशिष्ट यथा-डायपर, सेनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट-जैसे पट्टी, प्रयोग की गई सिरिज, अनुपयोगी दवायें, आदि को अलग एकत्रित किया जायेगा तथा उचित संस्था / व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित समस्त आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शोड के सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था उक्तानुसार कराये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(अनुराज जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक /दिनांक उक्त
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्राम), उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3. उपनिदेशक(प०), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. जिला पंचायतराज अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5. समस्त सचिव/प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा सोवि०अ०(प०), अम्बेडकरनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पेपक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-5/1149/2023-5/2022 लखनऊ दिनांक: 07 अगस्त, 2023
विषय:-स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत
निर्मित/सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/संचालन व अभिलेखीकरण के सम्बन्ध
में।

महोदय,

आप अवगत है कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) फेज-2 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस की मॉडल श्रेणी में ले जाना लक्षित है। ओ0डी0एफ0 प्लस अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना प्रमुख घटक है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1040/33-3-2021-116/2020 दिनांक 22.06.2021 तथा पत्र संख्या-4076/33-3-2023 दिनांक 11.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों में आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा, वर्मी कम्पोस्टिंग यूनिट, नाडेप/खाद गड्डे, सार्वजनिक कचरा पात्र आदि कार्य निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये चयनित 5321 ग्राम पंचायतों के लिये राज्य स्तर से की जा रही समीक्षा एवं भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उपरोक्तानुसार सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन/रख-रखाव तथा विभिन्न प्रकार के अभिलेखीकरण में एक रूपता नहीं है।

3- ग्राम पंचायतों/ग्रामों को ओ0डी0एफ0 प्लस घोषित करने एवं स्थिरता के दृष्टिगत निर्मित करायी जा रही परिसम्पत्तियों मुख्यतः आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा के संचालन/रख-रखाव एवं अभिलेखीकरण तथा इससे अपना व्यय भार स्वयं वहन करने हेतु सक्षम बनाने के लिये निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाये जाने की आवश्यकता है-

- i. ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर, दुकान, सार्वजनिक कचरा पात्रों, बाजार आदि से नियमित कचरे का एकत्रीकरण निर्धारित वाहन/ई-रिक्शा के माध्यम से किया जायेगा।
- ii. कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा का संचालन एवं घर-घर से कूड़ा संग्रहण का उत्तरदायित्व ग्रामों में तैनात सफाई कर्मचारी को दिया जाना उपयुक्त होगा। ऐसे ग्राम जहां सफाई कर्मी की तैनाती नहीं है, वहां ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वयं सहायता समूह अथवा आवश्यकतानुसार श्रमिक तैनात कर इस कार्य को किया जायेगा।
- iii. आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के समस्त कार्यो यथा- छटनी, कम्पोस्टिंग आदि के लिये स्वयं सहायता समूह के चयन के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-1758 दिनांक 15.07.2020 के द्वारा जिन स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक शौचालयों के संचालन दायित्व सौंपा गया है, प्राथमिकता पर उनका चयन उनकी सहमति से किया जाये। स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत में कार्यरत अन्य समूह के माध्यम से कार्य कराया जा सकता है।

- IV. छटनी के बाद जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री गांव में ही निस्तारित हो सकती है, ऐसी सामग्री को वर्मी कम्पोस्ट, खाद गढ्ढा आदि के माध्यम से निस्तारण के लिये दायित्व निर्धारित किया जायेगा। जो सामग्री जैसे प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि का निस्तारण गांव में नहीं हो सकता, उसे गांव से ले जाने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह से भी समन्वय कर दायित्व सौंपा जायेगा।
- V. पर्याप्त जनजागरूकता फैलाकर प्रत्येक घर/दुकान से कूड़ा संग्रहण शुल्क लिया जायेगा। शुल्क के सापेक्ष उन्हें निर्धारित रसीद उपलब्ध करायी जायेगी (रसीद का प्रारूप संलग्न)। आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में छटनी के उपरान्त प्राप्त उपयोगी वस्तुएं एवं अकार्बनिक कचरे यथा प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि तथा कम्पोस्टिंग से तैयार खाद की विक्री के साथ-साथ प्राप्त उपभोक्ता शुल्क की धनराशि को ओ0एस0आर0 बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा मासिक प्राप्तियों के अनुरूप श्रमिकों/स्वयं सहायता समूहों पर होने वाले व्यय का समायोजन किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों उक्त गतिविधि से आवश्यकतानुसार आय का सृजन नहीं हो सकेगा, वहां यथावश्यक नियमानुसार वित्त आयोग/मनरेगा आदि की धनराशि से गतिविधियां संचालित की जायेंगी।
- VI. कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, नम्बर तथा कचरा कलेक्शन का समय आदि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों तथा विशेषकर आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, पंचायत भवन पर वॉल पेन्टिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा तथा लिखित रूप में सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा। कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियां यथा- रूट चार्ट के अनुसार कचरा संग्रहण, शुल्क संकलन आदि की नियमित रिकॉर्ड कीपिंग के लिये लॉग बुक/रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत पर तैनात सचिव ग्राम पंचायत एवं पंचायत सहायक का होगा।
- VII. ग्राम पंचायत में कूड़ा संग्रहण में शिकायत अथवा मांग हेतु एक नम्बर जारी किया जाये, जिस पर सामान्य जन फोन करके अकस्मिक/विशेष स्थिति की जानकारी दे सकें। इसका एक रजिस्टर भी ग्राम पंचायत पर संरक्षित किया जायेगा तथा निस्तारण की स्थिति भी इस रजिस्टर में अंकित की जायेगी।
- VIII. ग्राम पंचायतों में कामर्शियल गतिविधियों एवं घरेलू स्तर पर कूड़ा संग्रहण हेतु पृथक-पृथक दरें ग्राम पंचायत की बैठक में निर्धारित की जा सकती हैं। शुल्क संकलन हेतु ग्राम पंचायतों में ओ0एस0आर0 खाता के माध्यम से प्राप्त क्यू0आर0 कोड का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उचित होगा कि ओ0एस0आर0 खाते से सम्बन्धित क्यू0आर0 कोड को विशेष रूप से कचरा एकत्रीकरण वाहन/ई-रिक्शा, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड, प्रत्येक मजरे, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जाये।
- IX. ग्राम पंचायतों में तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह/श्रमिकों/ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस हेतु किसानों से गोबर प्राप्त करने तथा वर्मी के विपणन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि ग्राम पंचायतें चाहें तो गोबर लेने के लिये शुल्क अथवा गोबर के बदले वर्मी कम्पोस्ट देने की भी व्यवस्था लागू कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तैयार की जा रही वर्मी कम्पोस्ट/खाद का विपणन प्लास्टिक की थैलियों में न किया जाये।
- X. कचरा संग्रहण वाहन, आर0आर0सी0/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के संचालन में लगे कर्मियों के लिये हार्डजीन किट यथा- एप्रेन, कैंप, मारक, सैनेटाईजर, बूट, इत्यादि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक

आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड में फर्स्ट ऐड किट एवं साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जायेगी।

- xI. गांव के बाहर प्लास्टिक, लोहा, मेटल, कांच आदि जैसी वस्तुएं ले जाने वाली संस्था/व्यक्ति को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कराकर आवद्ध किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत एवं उस व्यक्ति/संस्था के मध्य दरें एवं अन्य सुविधाओं की शर्त स्पष्ट करते हुए एक अनुबन्ध किया जायेगा।
- xII. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं कार्यरत कर्मियों के लिये दी जा रही सुविधाओं का विधिवत वॉल पेन्टिंग आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड पर की जायेगी।
- xIII. आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड एवं वाहन का नियमित अन्तराल पर मेंटेनेन्स कराया जायेगा।
- xIV. वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास से प्रदेश के समस्त आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड का संचालन एवं रख-रखाव के आधार पर रैंकिंग की जायेगी। जिसके अनुरूप पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।
- xV. गांव में निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा तथा क्या करें, क्या न करें से सम्बन्धित बिन्दुओं की वॉल राईटिंग/वॉल पेन्टिंग सुनिश्चित की जायेगी।
- xVI. हेजार्डस अपशिष्ट यथा- डायपर, सेनेट्री पैड, मेडिकल वेस्ट-जैसे पट्टी, प्रयोग की गई सिरिज, अनुपयोगी दवायें, आदि को अलग एकत्रित किया जायेगा तथा उचित संस्था/व्यक्ति के माध्यम से निष्पादन की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि जनपद में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित समस्त आर०आर०सी०/वेस्ट सेग्रीगेशन शेड के सुचारु रूप से संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था उक्तानुसार कराये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,



(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

मिशन निदेशक,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(प०), उ०प्र०।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।

(एस०एन० सिंह),

उप निदेशक(प०)/नोडल अधिकारी,

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०।

स्वच्छता संसाधन केन्द्र

स्वच्छता नारा	ग्राम पंचायत:- विकास खण्ड:- जनपद:-	विभाग का लोगो
---------------	--	---------------

रसीद क्रमांक:

दिनांक:

कूड़ा/कचरा संग्रहण बिल

उपभोक्ता का नाम:	उपभोक्ता का पता:	मोबाइल न0:
------------------------	------------------------	------------------

गीला कचरा	सूखा कचरा		
बचा हुआ खाना, सब्जियां, फलों के छिलके, नारियल की जटाएं, बचाए गये फूल-पत्तियां, चायपत्ति राख, बचा हुआ हरा एवं भूसा पशु चारा।	कपड़ा, अखबार, गुटखा, प्लास्टिक, पॉलीथिन वस्तुओं के डिब्बे, दूध की थैलियां, दवाईयां व नउके रैपर, प्लास्टिक की बोतल, टूटी हुई वस्तुएं खाली/निष्प्रयोज्य वस्तुएं, बच्चों के नैपकिन व डार्डपर आदि।	वर्तमान माह का शुल्क	रु0
		बकाया शुल्क	रु0
		दण्ड शुल्क	रु0
		कुल देय धनराशि	रु0
		भुगतान की अंतिम तिथि:	दिनांक:
		नोट:	ह0 जारीकर्ता
		1. समय से बिल भुगतान नहीं करने पर 10% जुर्माना देय होगा। 2. समय से बिल जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें।	